संख्या– 283 /68–5–2020

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल, 2020

विषयः– **समेकित शिक्षा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर एवं फीजियोथेरेपिस्ट को 06 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–समे0शि0/आईटी0आर0टी0/6837/2019–20, दिनांक 07.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित शिक्षा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर एवं फीजियोथेरेपिस्ट को 06 माह (180 दिन) का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0–2071/68–5–2019, दिनांक 30–12–2019 जो महिला अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं को 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने से संबंधित है, के क्रम में समेकित शिक्षा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर एवं फीजियोथेरेपिस्ट के 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
23/4/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव ।